//1//

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 36/2019

उनवान

1. भागचन्द पुत्र उगमा
2. सुखपाल पुत्र उगमा समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बदाम पत्नी रामा
2. रामी पत्नी श्रीकिशन, **फौत (तर्क)**
3. रतन,
4. शिवराज पुत्र श्रीकिशन,
5. सीता
6. सम्पति पुत्री श्रीकिशन,
7. छोटूलाल पुत्री उगमा, **फौत (तर्क)**
8. फुतर पत्नी लाला,
9. राजेन्द्र पुत्र लाला,
10. मैनी पुत्री लाला,
11. सोहनलाल पुत्र उगमा,
12. सुरता, **फौत (तर्क)**
13. मनभर,
14. समोत्रा पुत्री उगमा जाति बैरवा नि0 मोतीपुरा, नसीराबाद,
15. उप पंजीयक, नसीराबाद
16. राज0 सरकार जरियेंतहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिसक्ता श्री हीरालाल माली, 15, 16 जरियें राज. पैरोकार
3 से 6 व 8 से 11, 13, 14 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत,

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 901/0.27, 907/0.15 व 908/0.12 [illegible] बदाम पत्नी रामा (प्रतिवादी संख्या 1) 1/2 हिस्सा, रामी पत्नी श्रीकिशन, रतन, [illegible] पि. श्रीकिशन, सीता, सम्पति पुत्रीयाँ श्रीकिशन (प्रतिवादी सं[illegible] छोटूलाल (प्रतिवादी संख्या 7) खातेदार लाला की मृत्यु हो [illegible] पुत्र राजेन्द्र व पुत्री मैना (प्रतिवादी संख्या 8 से 10) व सोह[illegible] (प्रतिवादी संख्या 11 से 14) व भागचन्द, सुखपाल (वादीगण) का 8/18 हिस्सा नि[illegible] उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त सम्पदा का विभाजन नही

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi
Date: 2025.10.13 16:34:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कराना चाहते है तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.04.2007 से खसरा नम्बर 907 व 908 पर काबिज है। विक्रेता रघुनाथ पुत्र ज्वारा ने उक्त खसरा नम्बर का ही कब्जा दिया था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 14 ने दुर्भीसंधि कर मिथ्या वाद पेश किया है।जवाबकर्ता ने उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाया है। भूमि का कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 व 8 से 11, 13, 14 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब बंद किया गया। वाद विचारण के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2, 7 व 12 का नाम तर्क किया गया।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा पर वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है ?
   —— वादीगण

2. आया खसरा नम्बर 907 व 908 पर प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज है ? इसका वाद पर क्या असर पडेगा ?
   —— प्रतिवादी संख्या 1

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद व जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

<u>तनकी संख्या 1 :—</u>

ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 901/0.27, 907/0.15 व 908/0.12 की आराजी की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। वादीगण उक्त सम्पदा का विधिवत विभाजन कराना चाहते है। राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण सह खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 व 8 से 11, 13, 14 ने वाद का खण्डन नही किया है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के विधिवत विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव के समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :—</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.04.2007 से खसरा नम्बर 907 व 908 पर काबिज है। विक्रेता रघुनाथ पुत्र ज्वारा ने उक्त खसरा नम्बर का ही कब्जा दिया था। भूमि का कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य व दसतावेज पेश नही किये है जिससे सिद्ध होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 907 व 908 का पूर्ण रकबा ही क्रय किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर पर सहखातेदार है अतः उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज है

——3

तो भी वादीगण व शेष प्रतिवादीगण उक्त खसरा नम्बर पर बाई मींटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त खसरा नम्बर की मौका स्थिति व मूल्य के आधार पर विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना है। अतः तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

उक्तानुसारमोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 901/0.27, 907/0.15 व 908/0.12 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Y
Date: 2025.10.13 16:34:20 IS
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इक्याई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भागचन्द बनाम बदाम

दावा बाबत :— 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —36/2019
पेश करने की दिनांक —24.04.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कताई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुदई हीरालाल माली, रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 901/0.27, 907/0.15 व 908/0.12 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटर्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:20 IST
Reason: SelfAttested